5/5/25 — पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में है/राजकीय भ्रमण पर है। अतः पत्रावली दि. 2/6/25 को पेश हो।

2/6/25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधि. उप.। प्रा.पत्र धारा-5 पर मजिद बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र दि. 5/6/25 को पेश हो।

05/6/25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधि. उप.। मामले में उभय पक्ष अधि. द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर की गयी बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा. पत्र में वादग्रस्त भूमियों को अपनी पैतृक होना अंकित किया है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण मे ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह साबित करे कि प्रार्थीगण मूल खातेदार हीरा डांगी की विधिक वारिसान हो और ना ही प्रकरण में हीरा डांगी का सजरा ही प्रमाणित कराया गया है। जहां तक प्रार्थना पत्र के मूल उद्देश्य म्याद अवधि का प्रश्न है तो प्रार्थीगण ने अपने पूरे प्रा. पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि प्रार्थीगण को प्रकरण के सभी तथ्यों की प्रारम्भ में जानकारी कब व किस दिनांक को कैसे हुई नाहीं नामान्तरकरण जैसल होने की दिनांक ही अंकित की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा अपील के विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है और नाही यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण को किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक की अवधि को म्याद में शुमार कराना चाहते है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपील समय पर प्रस्तुत नहीं करने का ऐसा कोई कारण भी अंकित नहीं किया है जो मानवीय नियन्त्रण के बाहर हो तथा

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

र्थी .... बाली बाई .... विपक्षी .... ग्रा.प. बिलोल ....

स्म मुकदमा .... अपील .... पत्रावली संख्या .... 2022/74 .... पद ....

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	तथा प्रार्थीगण को विलम्ब की अवधि का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि यह भार प्रार्थीगण पर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा.पत्र सेन्टे केवल नहीं होकर विधि से वर्जित हो स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। चूंकि मामले में धारा 05 मयाद अधिनियम अस्वीकार हो अपील अपीआवट मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा (राजसमन्द)	